रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 366] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 16, 2014/आषाढ़ 25, 1936
No. 366] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 16, 2014/ASADHA 25, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 504(अ).— केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, जिसे मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 के साथ पठित धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन यथापेक्षित, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 278(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उनसे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां, तारीख 24 अप्रैल, 2014 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (12वां संशोधन) नियम, 2014 है ।

   (2) जब तक कि इन नियमों में अन्यथा उपबंधित न हो, ये 1 अक्तूबर, 2014 को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 115 में,-

   (i) उपनियम (14) के खंड (छ) को खंड (छ)(i) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खंड (छ)(i) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

   "(ii) 1 अक्तूबर, 2014 से ही विनिर्मित चार पहिया यानों के संबंध में, इस उपनियम के उपबंध, पुडुच्चेरी नगर, वापी, जामनगर, अंकलेश्वर, हिसार, भरतपुर, दमण, दीव, सिलवासा, उन्नाव, राय बरेली, अलीगढ़, करनाल, वलसाड़, यमुना नगर, कुरुक्षेत्र, निजामाबाद, मेडक और महबूबनगर शहरों को लागू नहीं होंगे ।"

   (ii) उपनियम (15) के खंड (क) में परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि पुड्डुचेरी, मथुरा, वापी, जामनगर, अंकलेश्वर, हिसार, भरतपुर, दमण, दीव, सिलवासा, उन्नाव, राय बरेली, अलीगढ़, करनाल, वलसाड़, यमुना नगर, कुरुक्षेत्र, निजामाबाद, मेढक और मेहबूबनगर शहरों में, 1 अक्तूबर, 2014 को या उसके पश्चात् विनिर्मित चार पहिया यानों के संबंध में, उक्त शहरों की अधिकारिता के भीतर अंतरराज्यिक अनुज्ञापत्र (परमिट) या राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र या अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्र पर चल रहे चार पहिया यानों के सिवाय, द्रव्यमान उत्सर्जन मानक (भारत प्रक्रम IV) लागू होंगे ।"।

[फा. सं. आरटी-11011/05/2011-एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और अंतिम बार सा.का.नि. 431(अ), तारीख 4 जुलाई, 2014 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2014

G.S.R. 504(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicle Rules, 1989, were published as required under sub-section (1) of section 52 read with section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 278(E), dated the 11th April, 2014 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 24th April, 2014;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of Motor Vehicles Act, 1988 the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (12th Amendment) Rules, 2014.

   (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the 1st October, 2014.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 115,-

   (i) in sub-rule (14), clause (G), shall be numbered as sub-clause (i) of clause (G) and after sub-clause (i) as so numbered, the following sub-clause shall be inserted namely :—

   "(ii) the provisions of this sub-rule in respect of four-wheeled vehicles manufactured on and from the 1st October, 2014 shall not apply to the cities of Puducherry, Mathura, Vapi, Jamnagar, Ankaleshwar, Hissar, Bharatpur, Daman, Diu, Silvasa, Unnao, Rae Bareilly, Aligarh, Karnal, Valsad, Yamuna Nagar, Kurukshetra, Nizamabad, Medak and Mehboobnagar.".

   (ii) in sub-rule (15), in clause (a), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

   "Provided further that the Mass Emission Standards (Bharat Stage IV) shall be applicable in the cities of Puducherry, Mathura, Vapi, Jamnagar, Ankaleshwar, Hissar, Bharatpur, Daman, Diu, Silvasa, Unnao, Rae Bareilly, Aligarh, Karnal, Valsad, Yamuna Nagar, Kurukshetra, Nizamabad, Medak and Mehboobnagar in respect of four wheeled vehicles manufactured on or after the 1st October, 2014 except the four wheeled transport vehicles plying on Inter-State Permits or National Permit or All India Tourist Permits, within the jurisdiction of the said cities."

[F. No. RT-11011/05/2011-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were notified in the Gazette of India vide G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide number G.S.R. 431(E), dated 4th July, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054